

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)
अधिसूचना

संख्या 12/चक0-विविध-05-05/2021-218/चक0, पटना, दिनांक 16-02-23

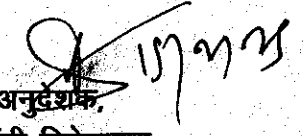
बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 1956, 5(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में इसका समाधान होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित अंचलों से संबंधित ग्रामों (इकाईयों) की समेकन योजना कार्यबल के अभाव में तैयार करने में समय लगने की संभावना है।

वैसे जगहों पर चकबंदी अधिनियम की धारा 5 के तहत भू-अंतरण एवं बँटवारा पर प्रतिषेध जनहित में उचित नहीं होता है। इससे रैयतों के कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। धारा 5 की उप धारा (1) के उपबंधों के प्रावधानों के चलते इन ग्रामों के रैयत एवं दर रैयतों को भूमि अंतरण पर प्रतिबंध से परेशानी होगी।

अतः उप निदेशक, चकबंदी एवं चकबंदी पदाधिकारी से प्राप्त अनुसंधित प्रतिवेदन के आलोक में निम्न अनुसूची में वर्णित जिले के चकबंदी योजना से आच्छादित अंचलों के राजस्व ग्रामों के भूमि अंतरण की धारा 5(1) के उपबंधों के प्रवर्तन से अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक निबंधन हेतु भू अंतरण की अनुमति से मुक्त किया जाता है।

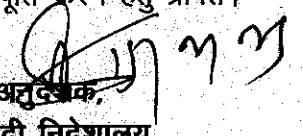
प्रस्ताव पर निदेशक, चकबंदी का अनुमोदन प्राप्त है।

क्र0	अंचल	मौजा का नाम	थाना नं0
1	विक्रमगंज (रोहतास)	चाँदी इंगलिश	251
2		गोटपा	549
3		खेलड़िया	547
4		बलुआही	506
5		लेवाजित	550
6		धुसिया कला	537
7		जमोढ़ी	464
8		प्रदुमनपुर	507
9		गड्डुरा	258


अनुदेशक,
चकबंदी निदेशालय,
बिहार, पटना।

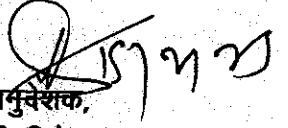
ज्ञापांक 218/चक0, पटना, दिनांक 16-02-23

प्रतिलिपि :- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग(सी0डी0 सहित)/अवर सचिव, गजटशाखा, वित्त विभाग, पटना (सी0डी0 सहित) को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं इसकी 200 मुद्रित प्रतिमा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (चकबंदी निदेशालय), पटना को आपूर्ति करने हेतु प्रेषित।


अनुदेशक,
चकबंदी निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापक 218/चक0, पटना, दिनांक 16-02-23

प्रतिलिपि :- संबंधित जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्ता-सह-उप निदेशक चकबंदी, रोहतास/चकबंदी पदाधिकारी, विक्रमगंज/अंचलाधिकारी, विक्रमगंज/संबंधित निबंधन कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अमुक्ता,

चकबंदी निदेशालय,
बिहार, पटना।